**न्यायालयः श्री राहुल कुमार, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी**
**व्यवहार न्यायालय, लातेहार**

**Misc. Cri. Application No.- 1465/2022**
**CNR No. JHLT 03002486-2022**

**जी0 आर0 249/2020**
**महुआडांड़ थाना काण्ड संख्या– 30/2018**

**राज्य**
**बनाम**
**बलराम प्रसाद**

**18-10-2022** अभियुक्त/ आवेदक **बलराम प्रसाद उम्र लगभग 54 वष पिता स्व0 करधनी साव निवासी ग्राम सेमर बुढ़नी थाना महुआडांड़ जिला– लातेहार** की ओर से **महुआडांड़ थाना प्राथमिकी संख्या 30/2018, सदृश्य जी0 आर0 249/2020 ले0एम0एम0सी0 एक्ट की धारा 54 एवं एम0एम0डी0आर0 एक्ट की धारा 4, 21** के संदर्भ में मिस. कि. एपलिकेशन संख्या **1465/2022** के रूप में दाखिल आत्म समर्पण सह जमानत आवेदन पर सुनवाई हेतु अभिलेख प्रस्तुत किया गया है । जमानत आवेदन की प्रति सहायक लोक अभियोजक को प्राप्त करायी गयी है । अभियुक्त/ आवेदक न्यायालय में आत्म समर्पण किया, उसे न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया ।

अभियुक्त/ आवेदक की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के तरफ से सम्प्रेषित किया गया कि अभियुक्तगण/ आवेदकगण निर्दोष हैं तथा उन्हें इस वाद में झूठा फंसाया गया है । दिनांक 18.08.2022 को आरोप गठन हेतु उपस्थ्ज्ञित नहीं रहने पर आवेदक के विरूद्ध गैर जमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया है । आवेदक को कोई सम्मन प्राप्त नहीं हुआ है । अभियुक्त/ आवेदक आगे से प्रत्येक तिथि को न्यायालय में उपस्थित रहने को तैयार है । अतः उपरोक्त आधार पर अभियुक्त/ आवेदक को जमानत पर मुक्त किया जाय ।

विद्वान सहायक लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध नहीं किया जाता है ।

**लगातार**
**18.10.2022**

उभय पक्षों को सुना एंव अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि यह वाद आरोप गठन हेतु निर्धारित था, किन्तु इस वाद में उपरोक्त अभियुक्त के अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध गैर जमानतीय गिरफतारी अधिपत्र निर्गत किया गया है एवं वाद पृथक किया गया है । इस वाद के अन्य सह अभियुक्तों के विरूद्ध इस वाद में धारा 54 झारखण्ड लघु समनुदान नियमावली 2004 एवं धारा 21 झारखण्ड खनिज पदार्थ चालान नि0 2005 की धारा 4 खान खनिज (वि0 एवं वि0) अधिनियम की धारा 15 के तहत आरोप का गठन किया गया है । अभियुक्त स्वेच्छा से न्यायालय में आत्म समर्पित किया है ।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों के आलोक में **अभियुक्त/ आवेदक बलराम प्रसाद** को 10,000/– रूपये का बंध पत्र समान राशि के दो प्रतिभू के साथ दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। तदनुसार अभियुक्तगण/ आवेदकगण के तरफ से दाखिल मिस क्रिमिनल एप्लीकेशन संख्या 1465/2022 निष्पादित किया जाता है ।

लेखापित

प्रभारी न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
लातेहार।

**पश्चात....**
**18.10.2022**

उपरोक्त आदेशानुसार अभियुक्त/ आवेदक **बलराम प्रसाद** के तरफ से बंध पत्र दाखिल किया गया, जिसे जांचोपरान्त सही पाकर स्वीकृत किया जाता है । अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा से मुक्त किया गया । लेखापित

प्रभारी न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी
लातेहार।